–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 72/2018

उनवान

1. गणेशी
2. चौथी
3. कमला
4. काली पि. रडमा समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाट, नसीराबाद

——वादीगण :–जरियें अधिवक्ता श्री कमलेश गुर्जर

बनाम

1. घासी
2. जीवण पि. रडमा समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाट, नसीराबाद
3. जोधाराम पुत्र बंशी समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाट, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 3 अनुपस्थित
4 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 व भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 26.12.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चाट के हाल खसरा नम्बर 16, 146, 147, 191, 200, 202, 204, 206, 243, 579/1338, 581, 583, 585, 717 की आराजी वादीगण की पुश्तेनी खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा के मूल खातेदार रडमा थे जिनकी मृत्यु हो गयी है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 रडमा के वारिस है। आराजी मुतनाजा पर प्रत्येक का 1/6 हिस्सा निहित है। हिन्दु उत्तराध्किार अधिनियम तहत उक्त सम्पदा पर वादीगण का भी हक व हिस्सा निहित है किन्तु राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के नाम होने के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हसतांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनजा में वादीगण का नाम जोडा जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। ... जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने अपने पिता रडमा की भूमि का ... करने हेतु उक्त वाद पेश किया है। शजरा अनुसार वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की बहिन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:08:44 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रकरण में निमन तनकियात कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तैनी है ?

—— वादीगण

2. आया आराजी मुतनाजा पर वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— वादीगण

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, शजरा पेश किया व वादी गणेशी का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज है। आराजी मुतनाजा में से खसरा नम्बर 204, 206, 243 किता 3 रकबा 0.35 की आराजी में प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के बैचान कर दिया था। खसरा नम्बर 204, 206, 243 प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है। आराजी मुतनाजा के मिलान श्रेत्रफल व चौसाला जमाबंदी अनुसार वादग्रस्त आराजी रडमा पुत्र सवाई के नाम दर्ज थी। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा रडमा के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम ही अंकित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शजरा अनुसार वादीगण रडमा की पुत्रियॉ है। वाद पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेज के अनुसार आराजी मुतनाजा पुश्तैनी सिद्व होती है। तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :-

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी है। आराजी मुतनाजा पुश्तैनी होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ वादीगण के नाम भी अंकित होनी चाहिये थी। प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का भाई है के द्वारा प्रकरण में स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा में से खसरा नम्बर 204, 206, 243 किता 3 रकबा 0.35 की आराजी में प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के बैचान कर दिया था। खसरा नम्बर 204, 206, 243 प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा उक्त आराजी का विक्रय पत्र पेश नही किया है। प्रतिवादी संख्या 3 के विक्रय पत्र बाबत कोई तथ्य भी वद में अंकित नही किये है। उक्त आराजी पर वादीगण मात्र प्रतिवादी संख्या 1 के साथ खातेदारी प्रापत करने के अधिकारी है। शेष आराजी पर वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक 1/6 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी संख्या 2 बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम चाट के हाल खसरा नम्बर 16, 146, 147, 191, 200, 202, 204, 206, 243, 579/1338, 581, 583, 585, 717 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। खसरा नम्बर 16, 146, 147, 191, 200, 202, 579/1338, 581, 583, 585, 717 की आराजी पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/6 हिस्से का व खसरा नम्बर 204, 206, 243 पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 1/10 व प्रतिवादी संख्या 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:08:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:08:44 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

गणेशी बनाम घासी

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 72/2018
पेश करने की दिनांक – 08.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक कमलेश गुर्जर मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम चाट के हाल खसरा नम्बर 16, 146, 147, 191, 200, 202, 204, 206, 243, 579/1338, 581, 583, 585, 717 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। खसरा नम्बर 16, 146, 147, 191, 200, 202, 579/1338, 581, 583, 585, 717 की आराजी पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/6 हिस्से का व खसरा नम्बर 204, 206, 243 पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 1/10 व प्रतिवादी संख्या 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26 माह 12 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:08:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद